

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक :- प.14(2077)बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा./2020/ 4610-16

दिनांक:- 21.12.2020

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति क्रमांक:एफ8(7)आ.प्र.एवंसहा./प्रस्ताव/बाढ/2020/13726-32 दिनांक 03.11.2020 द्वारा सार्वजनिक विभाग खण्ड भीम की तहसील देवगढ़ के 30 कार्य हेतु राशि रु. 87.96 लाख रुपयों की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति प्राप्त होने से कार्यकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती हैं।

सभी स्वीकृत कार्य कार्यकारी संस्था/विभाग द्वारा करवाये जावेंगे। कार्य को कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त आदेशों/निर्देशों एवं निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।

कार्यकारी विभाग - अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भीम
(तहसील - देवगढ़)

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सड़क का नाम मय लोकेशन	तात्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	2	7
1	फलौदी से माण्डल वाया मथानिया जोधपुर सरदारसमन्द मारवाड जंक्शन कामलीघाट देवढ राजाजर का करेडा सड़क किमी 0 271/0 से 302/0	19
2	मादडी से लसानी ताल वाया आमेट देवगढ सड़क किमी 0 40/0 से 83/0	11
3	दिवेर कोट सड़क किमी. 0/0 10/0	3
4	काकरोद से मालकोट सड़क किमी. 0/0 से 3/0	1.8
5	अनोपपुरा चौराया से भारतसिंह जी का गुडा 0/0 से 3/500	2.1
6	आजना पारडी से आम्बाखेडा किमी 0 0/0 से 1/800	1.08
7	पारडी से डांगडी किमी. 0/0 से 3/500	2.1
8	देवगढ से गोरेश्वर महादेव सड़क किमी. 0/0 से 2/0	1.8
9	हीराखेडा से भैरूखेडा किमी. 0/0 से 1/0	0.6
10	एस.एच. 56 से सांसरिया 1/0 से 3/00	1.2
11	दिवेर से उमराज सड़क किमी. 0/0 से 1/500	0.9
12	सम्पर्क सड़क कालेसरिया सड़क किमी. 0/0 से 1/500	0.9
13	टिकर दिवेर सड़क किमी. 3/0 से 10/0	4.2
14	कुवाथल से सालियों का खेडा वाया बगतपुरा सड़क किमी. 8/0 से 11/50	2.1
15	ताल लसानी से ईशरमण्ड मालकोट किमी. 0/0 से 3/0	1.8
16	एस.एच. 61 से कलालों की आंती वाया आजना घाटी किमी. 0/0 से 6/400	3.84
17	एस.एच. 56 सुलिया से बालक नाथजी की धुणी किमी. 0/0 से 1/500	1.32
18	देवगढ से देवगढ रेल्वे स्टेशन किमी. 0/0 से 1/0	0.6
19	मालियों का वास से बारवालों का खेडा किमी. 0/0 से 3/0	1.8
20	एस.एच. 56 से चुन्दी वाया कुवाथल किमी. 0/0 से 3/700	2.22
21	सम्पर्क सड़क माद किमी. 0/0 से 7/0	4.2
22	टिकर दिवेर सड़क से गूणिया किमी. 0/0 से 3/0	1.8
23	सम्पर्क सड़क नराणा से माताजी का गांव वाया केरपुरा किमी. 0/0 से 4/0	2.4
24	बरसी से हालेला सड़क किमी. 0/0 से 4/0	2.4
25	बुझडा से कमेरी चौराया किमी. 0/0 से 4/900	2.94
26	एस.एच. 56 से दौलाजी का खेडा किमी. 0/0 से 5/0	3
27	देवगढ से माण्डावाडा किमी 0/0 से 3/500	1.2
28	कलालों से राशमी किमी. 0/0 से 3/0	1.8
29	एस.एच. 61 बोधा खेडा से हदवा का वास किमी. 0/0 से 4/0	2.4
30	ताल से अर्जनगढ जिला सीमा तक किमी. 0/0 से 7/0	2.46
	योग	87.96

(अक्षर रुपये सित्यासी लाख छियात्तवें हजार मात्र)

शर्तें :

01. स्वीकृत राशि केवल इस वर्ष 2020 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कार्यों पर ही व्यय की जावें। एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 नोर्स के अनुसार तात्कालिक मरम्मत योग्य एवं इमिडियेट रेस्टोरेशन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सके।
02. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, कि तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों की ही मरम्मत करवाई गई है।
03. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन की निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि कार्य एवं व्यय सरकारी रिति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
04. वे सडके जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेंसी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।
05. कार्यकारी संस्था उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारशिता अधिनियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एस0डी0 आर0 एफ0, /एन0डी0आर0एफ0, ग्रामीण कार्य निर्देशिका के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे है एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावेगा।
06. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमीणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावें।
07. क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है, तो उक्त सडकों की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावें।
- 8 कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- 9 उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद से किया जायेगा -

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चकवात आदि।

106- खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना।

(08)- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)

(01) - (सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना)

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (गेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

M

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 एवं सहायता)
राजसमन्द

क्रमांक :- प.14(2077)बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा./2020/ 4610-16

दिनांक:- 21.12.2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटित करने का श्रम करावें।
02. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजसमन्द
03. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भीम
04. उपखण्ड अधिकारी भीम/देवगढ़।
05. तहसीलदार, देवगढ़।
06. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़।
07. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द

M

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 एवं सहायता)
राजसमन्द